कृषक-वैज्ञानिकों के बीच संवाद, कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देगा : डॉ. तोमर

बीकानेर,(कासं)। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून के अंतर्गत कृषक-वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा कार्यक्रम में बीकानेर के विभिन्न गांवों गाढ़वाला,केसरदेसर, कोटड़ी, ढाडूसर, मोरखाना, शिवबाड़ी आदि के लगभग 100 महिला व पुरूष किसानों, विषय-विशेषज्ञों, परिषद के बीकानेर स्थित संस्थानों/केन्द्रों के वैज्ञानिकों आदि ने भाग लिया।

परिचर्चा कार्यक्रम के दौरान विकसित कृषि संकल्प अभियान के राजस्थान के समन्वयक एवं निदेशक, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, डॉ. अरूण कुमार तोमर ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि यह अभियान एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इसका उद्देश्य किसानों को उन्नत तकनीकों, वैज्ञानिक विधियों और आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि कृषकों और वैज्ञानिकों के बीच संवाद, किसानों की जरूरतों के अनुसार अनुसंधान को बढ़ावा देगा।

डॉ. तोमर ने किसानों का मार्गदर्शन करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रतिबद्धता, देशी नस्लों के संरक्षण, विपणन प्रबंधन, जलवायु अनुकूल खेती, परंपरागत कृषि पद्धतियों एवं मिश्रित खेती जैसे विषयों पर ध्यान आकर्षित किया।

केन्द्र के निदेशक एवं कार्यक्रम संयोजक डॉ. अनिल कुमार पूनिया ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में बोलते हुए कहा यह अभियान न केवल कृषि को लाभकारी बनाने का प्रयास है बल्कि ग्रामीण जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाने की दिशा में एक प्रभावी पहल है। अतः किसान भाई अधिकाधिक संख्या में इस अभियान से जुड़कर अपनी जिज्ञासाओं को विषय-विशेषज्ञों के समक्ष रखें ताकि इनका उचित समाधान खोजा जा सकें। डॉ. पूनिया ने ऊंट पालन से संबंधित जानकारी व सहायता हेतु एनआरसीसी से सम्पर्क साधने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

परिचर्चा के इस अवसर पर विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉ. सुधीर कुमार, प्रभागाध्यक्ष,भाकृअनुप-भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान बीकानेर ने खरीफ फसलों पर चर्चा के दौरान किसानों को नई व उन्नत किस्म का चयन करने, सरकारी या प्रमाणित संस्था से बीज क्रय करने, बीजोपचार, मृदा व खाद, खेती के अद्यतन उपकरणों आदि पहलुओं संबंधी जानकारी दी।

इस दौरान एन.आर.सी.सी. की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. प्रियंका गौतम ने प्राकृतिक खेती का महत्व व जरूरत पर बीतचीत करते हुए प्राकृतिक खेती के तरीकों, नेचुरल फार्मिंग मिशन, बीजामृत व घनजीवामृत तैयार करने आदि की जानकारी दी। वहीं डॉ. अजित महला, वैज्ञानिक, भाकृअनुप-केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर द्वारा पशुओं में उत्पादन बढ़ाने के लिए उचित प्रबन्धन विषयक जानकारी संप्रेषित की गई।

एन.आर.सी.सी. की ओर से इस अभियान के नोडल अधिकारी तथा कार्यक्रम समन्वयक डॉ. वेदप्रकाश ने ऊंट पालन व्यवसाय को लाभकारी बनाने हेतु विभिन्न जरूरी पहलुओं पर अपने विचार रखें। इस अवसर पर आयोजित किसान संवाद एवं फीड बैक सत्र में किसानों ने खेती व पशुपालन में आ रही बाधाओं व व्यावहारिक चुनौतियों के बारे में विषय-विशेषज्ञों के समक्ष अपनी बात रखी, जिनका उचित निराकरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. राकेश कुमार पूनिया ने किया तथा धन्यवाद प्रस्ताव डॉ. बसंती ज्योत्सना ने दिया।

विकसित कृषि संकल्प अभियान के समन्वयक डॉ. अरूण कुमार तोमर ने कृषक-वैज्ञानिक परिचर्चा को संबोधित किया।

- **विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषक-वैज्ञानिक परिचर्चा आयोजित**
- **इसका उद्देश्य किसानों को उन्नत तकनीकों, वैज्ञानिक विधियों और आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी देना है**

पर्यावरण संरक्षण जरूरी : श्रीगंगानगर में अणुव्रत विश्व भारती सोसायटी के तत्वावधान में चल रहे पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत देशभर की अणुव्रत समितियां विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के उपलक्ष में जन-जागरूकता पहल कर रही है। संस्था के पदाधिकारी आम नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने संस्थानों, दुकानों एवं कार्यालयों, घरों में 5 जून को दोपहर 2 से 4 बजे तक अपने एयर कंडीशनर (एसी) बंद रखें, ताकि ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा सके।

कुत्तों पर अत्याचार, पांच पर मुकदमा दर्ज

बीकानेर,(कासं)। जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना में पड़ौसियों के आपसी विवाद के चलते दर्ज एक व्यक्ति ने तीन महिलाओं सहित पांच जनों पर आवारा कुत्तों पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

जेएनवी के तीन ई सेक्टर में रहने वाले बलजीत सिंह पुत्र गुरदीप सिंह ने मामला दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि पड़ौस में ही रहने वाली कुछ महिलाएं और पुरूष मिलकर गली में रहने वाले आवारा कुत्तों पर अत्याचार करते हैं। इन कुत्तों को मारा जाता है। इतना ही नहीं इन पर मिर्च मिलाकर गर्म किया गया पानी भी फेंका जाता है जिससे आवारा कुत्तों को शारीरिक कष्ट होता है। मिर्च का पानी इन पशुओं को नुकसान पहुंचाता है।

बलजीत ने को इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट दी है, जिसमें इसी सेक्टर में रहने वाली तीन महिलाओं और दो पुरूषों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में दो पुरूषों और एक महिला का नाम दिया गया है। वहीं दो महिलाओं को आंटी कहकर संबोधित किया गया है। व्यास कॉलोनी पुलिस ने मामले की जांच एसआई शारदा को सौंपी है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन की जा सकती है। बीएनएस की धारा 325, भारतीय न्याय संहिता 2023 की एक धारा है, जो पशुओं को मारने, अपंग बनाने या घायल करने से संबंधित है। यह धारा किसी भी पशु को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने को अपराध घोषित करती है।

जल मंदिर का उद्घाटन

डूंगर कॉलेज में विधायक जेठानंद व्यास ने जल मंदिर का उद्घाटन किया।

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े राजकीय डूंगर महाविद्यालय में सातवें जल मंदिर का निर्माण और उद्घाटन तारादेवी चेरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से बुधवार को संपन्न हुआ। पूजन विधि को पंडित अशोक ओझा ने वैदिक रीति नीति से संपन्न करवाया। प्राचार्य डॉ. राजेन्द्र पुरोहित ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि नगर विधायक जेठानंद व्यास रहे। जबकि विशिष्ट अतिथि डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य रहे। विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि जल सेवा संसार की बड़ी से बड़ी सेवाओं में सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। डॉ सत्यप्रकाश आचार्य ने कहा कि संस्थाएं समाज की धरोहर होती है। अतः उनके उत्थान में सकी सहभागिता आवश्यक है। ट्रस्ट के हनुमान प्रसाद ने कहा कि ट्रस्ट समाज हित का कार्यों में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर रहा है। एडवोकेट विजयप्रकाश गोयतान ने महाविद्यालय में हो रहे विकास कार्यों की तारिफ की। उन्होंने अगले बीस वर्ष इसकी देखभाल की जिम्मेदारी स्वीकार की। प्रो. पुरोहित ने बताया कि जल मंदिर का निर्माण विद्यार्थियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा।

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना

वरि. मंडल बिजली इंजीनियर / टीआरडी, उ. प. रेलवे बीकानेर, भारत के राष्ट्रपति के वास्ते व उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं। **1. सम्पूर्ण जानकारी के लिए वेबसाइट का पता : http://www.ireps.gov.in 2. ई-निविदाएं बंद होने की तिथि व समय :** 30.06.2025 को 15.00 बजे तक **3. ई-निविदाएं खोलने की तिथि व समय :** 30.06.2025 को 15.00 बजे के बाद **Tender Notice No. :** 06-TRD-BKN-ETender-2024-25 R3 **Name of work :** TRD modification work in c/w Strengthening of TRD system for train operation in Suratgarh-Lalgarh section of Bikaner division by provision of SSP in Suratgarh **Approx Cost of the work :** 1,58,86,028.27 **EMD/SD (Rupees) :** 2,29,400 **644-CR/25**

हमें /NWRailways /NWRailways_ पर फॉलो करें

बिजली कटौती से परेशान लोगों ने कंपनी कार्यालय को घेरा

बीकानेर, (कासं)। यहां बिजली कंपनी बीकेईएसएल द्वारा जीएसएस फीडर की मेंटिनेंस और पेड़ों की छंटाई के नाम पर बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित की जा रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को पूर्व महापौर मकसूद अहमद व समाजसेवी शिवनारायण जोशी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने बीकेईएसएल प्रबंधन का घेराव करके जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा। शहर के सोनगिरी वेल, जगमोहन कुआं, कसाई बाड़ी, मीट मार्केट रोड और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार शाम 6 बजे से लेकर रात एक बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। इससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा बार-बार बीकेईएसएल हेल्पलाइन (जयपुर) और एईएन से शिकायतें की गई लेकिन हर बार यही जवाब मिला कि मेंटिनेंस और रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है।

पूर्व महापौर मकसूद अहमद ने खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि एरिया के छह ट्रांसफार्मर देखे गए। कहीं भी रिपेयरिंग का काम नहीं चल रहा था। इसके बावजूद क्षेत्र में बिजली कटौती थी। इस संबंध में उन्होंने मैनेजर सुरेन्द्र चौधरी सहित अन्य उच्चाधिकारियों को फोन कर वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी दी।

शिवनारायण जोशी ने बताया कि पुराने ट्रांसफार्मर जो अब क्षमता खो चुके हैं, उनकी समय पर मरम्मत की जाए या उनकी जगह नए उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याएं न आएं। शिष्टमंडल में लालचंद पुरोहित, संजय जोशी, भैंरू रतन पारीक, मदन गहलोत, संजू, पार्षद रमजान कच्छावा, मोहम्मद अयूब सुलेमानी, मोहम्मद अरमान, शकील स्टार, रियाज सुलेमानी आदि शामिल थे। कंपनी मैनेजर सुरेन्द्र चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि बीती रात की घटना की जांच की जायेगी।

- **शाम 6 बजे से लेकर रात एक बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित**
- **मेंटिनेंस और पेड़ों की छंटाई के नाम पर बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित करने का आरोप**

25 ग्राम एम.डी. सहित गिरफ्तार

नोखा, (कासं)। नोखा वृत के जसरासर थाना पुलिस ने एक युवक को 25 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है।

आरोपी की पहचान मैनसर निवासी नवा शरीफ (20) के रूप में हुई है। यह कार्रवाई बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के विशेष अभियान के तहत की गई। वृत नोखा के वृत्ताधिकारी हिमांशु शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी संदीप कुमार और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी संदीप कुमार के अलावा हैड कांस्टेबल जयकिशन, कांस्टेबल सुमित, कांस्टेबल मुकेश और कांस्टेबल कैलाश शामिल थे। यह अभियान पुलिस महानिरीक्षक ओमप्रकाश, पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कैलाश सिंह सांदू के निर्देशन में चलाया जा रहा है।

लूणकरनसर में तीन दिन से रिमझिम बारिश का दौर

बीकानेर, (कासं)। भारतीय केलेंडर में इस समय महीना तो ज्येष्ठ का चल रहा है लेकिन सावन के महीने जैसी ठंडी हवाओं का दौर चल रहा है।

माना जाता है कि सबसे गर्म महीना ही जेठ का होता है लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। नौतपा भी पूरी तरह पिघल गया। क्योंकि जिन महत्वपूर्ण नौ दिनों में नौतपा रहता है। उन्हीं दिनों में बीकानेर में बूंदाबांदी, अंधड़ और रिमझिम बारिश का दौर चला है। लूणकरनसर में तो देर रात फिर रिमझिम बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया।

दरअसल 25 मई से 2 जून तक नौतपा ज्यादा तपता है। इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि एक दिन तेज तूफान के कारण हवाएं चली, जिससे पारा कम हो गया। वहीं बाद में तीस मई से मौसम बारिश का रहा। 31 मई से तो लगातार रिमझिम बारिश ही हो रही है। न सिर्फ बीकानेर बल्कि राज्य के अधिकांश जिलों में पानी बरसने से नौतपा का असर कम हो गया है।

बीकानेर में बीते चौबीस घंटे में तापमान में जबरदस्त कमी आई है। अधिकतम तापमान जो चालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा था। उसमें चार डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। ये 36.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान में भी बड़ी गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान तीस से गिरकर 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है।

- **देर रात फिर रिमझिम बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया**
- **जेठ के महीने में सावन का अहसास**

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101376 **लोक सूचना** दिनांक : 03.06.2025

श्रीमती ममता अरोड़ा पत्नी श्री किरण कुमार अरोड़ा निवासी आरएसएच-24 रिद्धि सिद्धि प्रथम, चक 2 एमएल, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्रीमती ममता अरोड़ा पत्नी श्री किरण कुमार अरोड़ा	चक 4 जैड मुरब्बा नं. 16 के किला नं. 24 में 0.2280 है. में से 0.0477 है., यथाकुल 0.0477 हैक्टेयर	कुल 0.0477 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 03.06.2025 को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101375 **लोक सूचना** दिनांक : 03.06.2025

श्रीमती ममता अरोड़ा पत्नी श्री किरण कुमार अरोड़ा निवासी आरएसएच-24 रिद्धि सिद्धि प्रथम, चक 2 एमएल, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्रीमती ममता अरोड़ा पत्नी श्री किरण कुमार अरोड़ा	चक 4 जैड मुरब्बा नं. 16 के किला नं. 24 में 0.2280 है. में से 0.0477 है., यथाकुल 0.0477 हैक्टेयर	कुल 0.0477 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 03.06.2025 को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101373 **लोक सूचना** दिनांक : 03.06.2025

श्रीमती ममता अरोड़ा पत्नी श्री किरण कुमार अरोड़ा निवासी आरएसएच-24 रिद्धि सिद्धि प्रथम, चक 2 एमएल, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्रीमती ममता अरोड़ा पत्नी श्री किरण कुमार अरोड़ा	चक 4 जैड मुरब्बा नं. 16 के किला नं. 25 की 0.227 है. में से 0.0476 है., यथाकुल 0.0476 हैक्टेयर	कुल 0.0476 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 03.06.2025 को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

सीवर लाइन जाम होने से लोग परेशान

बीकानेर, (कासं)। कोर्ट परिसर में नाले और सीवर लाइन जाम होने के कारण सैकड़ों लोग परेशान हो रहे हैं। सेशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना सहित बार एसोसिएशन बीकानेर के अध्यक्ष विवेक शर्मा, कुलदीप शर्मा सहित सैकड़ों अधिवक्ता न्यायालय परिसर में पहुंचे तो उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

बार एसोसिएशन बीकानेर के मीडिया प्रभारी अनिल सोनी ने बताया कि सोमवार को हुई बारिश के कारण पूरे न्यायालय परिसर सहित कलेक्ट्रेट कार्यालय तक बारिश का पानी गंदगी का रूप ले बैठा है। चारों तरफ बारिश का गंदा पानी सड़ांध मारने लगा। वहीं पुरानी बिल्डिंग के आस-पास बैठने वाले अधिवक्ताओं को भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बार एसोसिएशन अध्यक्ष विवेक शर्मा ने कहा कि कोर्ट कैम्पस में पिछले 15 सालों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है। कलेक्टर को कई बार अवगत करवाया जा चुका है मगर समाधान नहीं हुआ। यदि जल्द ही इस इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो बार एसोसिएशन भारी विरोध जतायेगी। कुलदीप शर्मा, रामरतन गोदारा ने भी जल्द समाधान करवाने की मांग की।

- **कोर्ट परिसर में नाले और सीवर लाइन जाम होने से सैकड़ों लोग परेशान**

घर में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़

नोखा, (कासं)। यहां मालानी बास में महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना 1 जून की रात 10 बजे की है। पीड़िता ने शाम को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

महिला ने बताया कि वह अपनी देवरानी और छोटे बच्चों के साथ घर में थी। उनके पति और देवर मजदूरी के लिए बाहर गए थे। इस दौरान नरपत, पांचीलाल और सुखराम आचारी नशे में धुत होकर स्कॉपियो से आए। तीनों आरोपी जबरन घर में घुस गए। वे महिलाओं से छेड़छाड़ करने लगे। शोर सुनकर पीड़िता की सास मौके पर पहुंची। आरोपियों ने उनका ओढ़ना खींच दिया और अश्लील गालियां दी। उन्होंने धमकी दी कि शिकायत करने पर जान से मार देंगे।

बीकानेर में पांच मुमुक्षुओं ने ली भागवती दीक्षा

बीकानेर, (कासं)। साधुमार्गी जैन संघ के श्री सुधर्मा स्वामी के 82 वें पट्टधर के रूप में आचार्य प्रवर रामलाल महाराज व बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर राजेश मुनि आदि ठाणा के सानिध्य बुधवार को सेठिया कोटड़ी में दो बालक व तीन मुमुक्षु भागवती दीक्षा ग्रहण की।

श्री अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन संघ के अहिंसा प्रचारक महेश नाहटा ने बताया कि समता मुमुक्षु हैदराबाद निवासी भीनासर-बीकानेर प्रवासी 39 वर्षीय रेखा सोनावत अपने दो बाल पुत्रों मयंक व हार्दिक के साथ तथा डोडी, लोहारा, छत्तीसगढ़ की मुमुक्षु नेहा डोसी व मुमुक्षु साक्षी भंसाली ने सेठिया कोटड़ी में दीक्षा ग्रहण की। रेखा सोनावत नव दीक्षिता साध्वी रामरूचि, उनके सांसारिक पुत्र मयंक सोनावत-बाल मुनि राममूर्ति व हार्दिक रामहंस मुनि बन गए। वहीं छत्तीसगढ़ की नेहा डोसी साध्वी राम निभा व साक्षी भंसाली नवदीक्षित साध्वी रामसुधा बन गई।

समता युवा संघ के मंत्री हेमंत सिंगी ने बताया कि दीक्षा स्थल पर ना कोई माइक न लाइट लेकिन पूर्ण अनुशासन, शांति थी। दीक्षार्थियों के कुछ परिवार के सदस्यों में खुशी व गर्व झलक रहा था। वहीं कई परिजनों के परिवारिक मोह बंधन के कारण आंसू छलक रहे थे। वरिष्ठ श्रावक सुशील बच्छावत ने बताया कि आचार्य प्रवर रामलाल महाराज ने दोनों बालक मयंक व हार्दिक के तथा बीकानेर की साध्वी सुशीला कंवर ने मुमुक्षु रेखा सोनावत, नेहा डोसी व मुमुक्षु साक्षी भंसाली केश लोचन करने की परम्परा का निर्वहन किया। आचार्य प्रवर रामलाल के युवाचार्य व आचार्य के पद के दौरान अब तक 436 मुमुक्षुओं ने दीक्षा ग्रहण की है।

- **बीकानेर की रेखा सोनावत व रामरूचि साध्वी बनी, दो बाल पुत्र राममूर्ति व रामहंस मुनि बने**

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक :- नियमन/ 2025/ 3937 दिनांक : 03/05/2025

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती संगीता पत्नी श्री रघुनाथ बाड निवासी म.न. 215 गली नं. 6, इन्द्रा कॉलोनी, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकॉर्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूमि का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 58 किला नं. 17 भूखण्ड संख्या बी-66 माप 12 इन्टू 40 फीट दुर्गाविहार, श्रीगंगानगर	उक्त भूखण्ड का पट्टा संख्या 2239 दिनांक 28.01.2013 को श्रीमती सुदेश रानी पत्नी श्री सगन लाल के नाम से जारी किया हुआ है।	श्रीमती संगीता द्वारा उक्त भूखण्ड को पंजीकृत बैयनामा दिनांक 28.08.2024 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का ऑनलाईन नामान्तरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में श्रीमती संगीता पत्नी श्री रघुनाथ बाड निवासी म.न. 215 गली नं. 6, इन्द्रा कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/ उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमजन/ हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/ उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या:- SGNR/FY24-25/MUT/1611 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

जिला प्रशासन से ईदगाह एवं शहर में ईद-उल-जुहा पर माकूल व्यवस्थाओं की मांग

बीकानेर, (कासं)। त्याग और बलिदान का त्योहार ईद-उल-जुहा 07 जून को मनाया जायेगा।

ईदगाह कमेटी प्रवक्ता एन. डी. कादरी ने बताया कि ईद-उल-जुहा की नमाज नया शहर स्थित बड़ी ईदगाह में प्रातः 7:45 बजे सामूहिक रूप से अदा की जायेगी। ईद की नमाज शहरकाजी जनाब शाहनवाज़ हुसैन अदा करवायेंगे। शहर काजी शाहनवाज एवं ईदगाह कमेटी अध्यक्ष हाफिज फरमान अली ने ईद-उल-जुहा के त्योहार को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर एवं आईजी बीकानेर से मुलाकात कर मुस्लिम समाज के लोग अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार बीकानेर में बड़ी ईदगाह में ईद-उल-जुहा की नमाज अदा करने आते हैं। जिला प्रशासन इस अवसर पर प्रतिवर्ष सहयोग करता आया है।

ईदगाह कमेटी प्रवक्ता एन. डी. कादरी ने बताया कि ईद-उल-जुहा के मौके पर बड़ी ईदगाह के आसपास साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था सहित नमाजियों के लिए मेटिंग ,पीने के पानी, सुरक्षा व्यवस्था करवाने सहित ईद-उल-जुहा के मौके पर बीकानेरी गंगा जमुनी तहजीब को ध्यान में रखते हुए शहर की साफ-सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए बातचीत हुई। जिला कलेक्टर एवं आईजी बीकानेर द्वारा आश्वासन दिया कि बीकानेरी तहजीब को ध्यान में रखा जाये तमाम व्यवस्था समय पूर्व करवा दी जायेगी।

कादरी ने बताया कि ईद पर कुरान और हदीस की रोशनी जानवर ही ज़बह (कुर्बानी) करना जायज एवं अव्वल है।, लेकिन हसद , गुरूर, घमंड, दिखावा अहंकार और चालाकियों को भी कुर्बान करना भी नेक ईबारत जैसा काम में शरीक होना है। इससे हमारे समाज सहित देश हित में भी एक कुर्बानी होगी। हमेशा की तरह गंगा जमुनी तहजीब के साथ गारीब बेसहारा लोगों के साथ मिल-जुलकर ईद का त्योहार मनाने की खुबसूरती है।

बीकानेर कलेक्टर नम्रता वृष्णि को ईद-उल-जुहा पर व्यवस्थाओं के लिए ज्ञापन सौंपा।

- **कलेक्टर ने तमाम व्यवस्थाएं करवाने का आश्वासन दिया**

विवेक हत्याकांड में फरार समीर गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (कासं)। करीब डेढ़ साल पुराने विवेक शर्मा मर्डर केस में फरार आरोपी समीर उर्फ नूर (24) पुत्र रफीक निवासी धानक मोहल्ला को गिरफ्तार किया गया।

आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूर्व में कई जगह दबिश दी थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार मुखबिर की सूचना पर आरोपी को श्रीगंगानगर से ही गिरफ्तार किया गया।

सदर थानाधिकारी सुभाषचंद्र के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। गौरतलब है कि आरोपी समीर उर्फ नूर 12 अक्टूबर 2023 को हुए विवेक शर्मा उर्फ विक्की लाला की हत्या के मामले में वांछित था।

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने फरारी का बड़ा हिस्सा यूपी के आगरा में काटा। इस दौरान अलग-अलग जगह पर भीख मांगकर अपना गुजारा चलाया था।

NISE

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान

(नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान)

गुरुग्राम-फरीदाबाद मार्ग, ग्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम 122003, हरियाणा

प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के तहत नवाचार से युक्त परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) प्रस्ताव आमंत्रित करता है। इस पहल का उद्देश्य रूफटॉप सौर प्रौद्योगिकियों, व्यावसायिक मॉडलों और कार्यान्वयन विधियों में नवाचार को प्रदर्शित करना और उसे बड़े स्तर पर लागू करना है, जिससे भारत में स्वच्छ ऊर्जा को तेजी से अपनाया जा सके।

परियोजना अवधिः अधिकतम 18 माह वित्तीय सहायताः परियोजना लागत का अधिकतम 60% या रू.30 करोड़ (जो भी कम हो)

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथिः 29 जुलाई 2025

विस्तृत जानकारी, आवेदन दिशानिर्देश और प्रस्ताव जमा करने हेतु वेबसाइट पर जाएंः https://nise.res.in/innovatiove-PMSG/

CBC 28102/12/0001/2526

सम्मन बनाम रेस्पोंडेन्ट (आर्डर 41 रूल 14 जाबता दिवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G' Form No. 60)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ क्रमांक : 435 दिनांक : 02/06/2025

अपीलान्ट अर्जुननाथ आदि बनाम देवकीनंदन आदि

अपील बाबत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम

अपील नम्बर - 356/2024

अपील बनाराजगी फैसला हुक्म अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी रावतसर, तारीख 08 माह 11 सन् 2024

बनाम

1. देवकीनंदन पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 2. कृष्णलाल, 3. कानाराम, 4. रजीराम, 5. बृजलाल, 6. साहबराम, 7. हीराराम पुत्रगण बांगाराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी बिजारणीया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 8. आदराम पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी लाखेरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 9. बृजलाल पुत्र नानूराम जाति महाजन साकिन झैडासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 10. विद्यादेवी पत्नी साहबराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी बिजारणीयां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 11. भवानीशंकर पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 12. पतराम पुत्र श्योचन्दराम, 13. इन्द्राज पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी गुलाबगढ़ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 14. रेपमादेवी पत्नी संदीप कुमार जाति जाट साकिन पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 15. द्रोपती पत्नी तुलछीराम जाति ब्राह्मण साकिन झैडासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 16. हनुमानदास, 17. सीताराम पुत्रगण नानूराम जाति स्वामी निवासी गुलाबगढ़ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 18. जयकरण, 19. मोहरसिंह पुत्रगण दयालाराम जाति जाट निवासी गुड़िया तहसील नोहर हाल निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 20. ओमप्रकाश पुत्र सहीराम जाति सांसी निवासी कलासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 21. प्रभूदयाल पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी चक 13 एनडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 22. हनुमानप्रसाद पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी चक 13 एनडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 23. रामेश्वर पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।, 24. मदनलाल पुत्र मांगीलाल, 25. टीमादेवी पत्नी कमलकुमार जाति खाती निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 26. हरकोरी पत्नी दौलतराम जाति जाट निवासी दनियासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 27. सन्दीप कुमार पुत्र बलवीर सिंह जाति जाट निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 28. बलवीरसिंह पुत्र नन्दराम जाति नाई निवासी साधुवाली हाल पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 29. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति जांगिड निवासी टाडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू हाल निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 30. नन्दराम पुत्र फूसाराम जाति कुम्हार निवासी चाईया हाल निवासर पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 31. नन्दराम पुत्र हरचन्दराम जाति जाट निवासी दनियासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 32. रामस्वरूप पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी न्यौलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 33. सावित्री पत्नी रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 34. कालूराम पुत्र चुनीराम, 35. लालचन्द पुत्र जगनाराम, 36. भजनाराम पुत्र भैराराम, 37. देवाराम पुत्र मनफूल जाति जाट निवासीयान लाखेरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 38. देवीलाल पुत्र पृथ्वीराम जाति कुम्हार निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 39. अजीतसिंह पुत्र जयकरण जाति जाट निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 40. लालचन्द पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी शेखचूलियां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 41. जसवन्त पुत्र बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी स्वरूपदेसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 42. मन्जू पुत्री सुल्तान जाति राजपूत निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 43. महावीरप्रसाद पुत्र चुन्नीराम जाति जाट साकिन प्रेमपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 44. सोनूदेवी पुत्री अमीलाल जाति कुम्हार निवासी कानसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 45. हेतराम पुत्र हीराराम, 46. इमीलाल पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी दनियासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 47. जगदीश पुत्र धन्नाराम जाति स्वामी, 48. शान्ति पत्नी सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासीयान पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 49. समेस्ता देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट साकिन ढाणी मायला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 50. सरोज कंवर पुत्री ओमसिंह जाति राजपूत, 51. हरीराम पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासीयान पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।, 52. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

जरिये हाजा इत्तिला दी जाती है कि अपीलान्ट ने इस मुकदमें में अपील पेश की है जो इस अदालत में दर्ज रजिस्टर में की गई है और बार बुधवार तारीख 18 माह 06 सन् 2025 की पेशी अदालत में अपील की सुनवाई मुकर्रर की गई है। अगर आपकी तरफ से खुद आयुक्त वकील और कोई शख्स जो कानून ने इस अपील से आपकी तरफ से पैरवी कर सकता हो हाजिर न हुआ तो अपील आपकी गैर हाजरी में सुनी व फैसला की जावेगा। बसब्त मेरे दस्तखत मोहर अदालत के आज तारीख 02 माह 06 सन् 2025 को जारी किया गया। - राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़।